BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 25 मार्च 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैरइरादन हत्या करने के आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार पुत्र बनारसीदास निवासी ग्राम घटाल थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादी करतार सिंह निवासी ग्राम घटाल थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर के पिता व भाई के साथ लाठी डंडो से मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिससे वादी के पिता गुरुदयाल की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 17.06.2021 को थाना अरनिया पर मुअसं- 223/2021 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 01.09.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 25.03.2025 को न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र लोधी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर